2019 का विधेयक संख्यांक 366

[दि दादरा एंड नागर हवेली एंड दमण एंड दीव (मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटेरिज) बिल, 2019 का हिंदी अनुवाद]

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) विधेयक, 2019

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

5 **1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "नियत तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ख) "विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र" से नियत तारीख से ठीक पहले यथा विद्यमान दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ग) "विधि" में नियत तारीख से ठीक पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में पूर्णतः या उसके किसी भाग की कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या विधि का बल रखने वाली अन्य लिखत सम्मिलित है ।

भाग 2

संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण ।

3. नियत तारीख से ही, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र नाम से ज्ञात नए संघ राज्यक्षेत्र का गठन किया जाएगा, जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के निम्नलिखित क्षेत्रों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--

दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव,

और तत्पश्चात् उक्त संघ राज्यक्षेत्र विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भाग नहीं रहेंगे ।

संविधान के अनुच्छेद 240 का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) में,--

(i) प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव";

(ii) प्रविष्टि (घ) का लोप किया जाएगा ।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन ।

5. नियत तारीख से, संविधान की पहली अनुसूची में, "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्ष के अधीन प्रविष्टि 4 और 5 तथा उससे संबंधित तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

नाम	**विस्तार**
"4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव"	वह राज्यक्षेत्र, जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था तथा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट है ।"।

1987 का 18

भाग 3

लोक सभा में प्रतिनिधित्व

लोक सभा में सीटों का आबंटन ।

6. नियत तारीख से, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए लोक सभा में दो स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की पहली अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

1950 का 43

आसीन सदस्यों के संबंध में उपबंध ।

7. (1) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का प्रत्येक आसीन सदस्य, जिसको नियत तारीख को, धारा 5 के उपबंधों के आधार पर, सीमाओं में परिवर्तन के साथ या उसके बिना, आबंटित है, उस निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा उस सदन के लिए निर्वाचित समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" का वही अर्थ होगा, जो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में दिया गया है ।

1950 का 43

(2) ऐसे सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार ।

8. नियत तारीख से ही बाम्बे उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र तक रहेगा ।

भाग 5

आस्तियां और दायित्व

भूमि और माल ।

9. इस भाग के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, नियत तारीख से ठीक पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा धारित सभी भूमियां और भंडार, वस्तुएं तथा अन्य माल उस तारीख से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए, "भूमि" पद में प्रत्येक प्रकार की अचल संपदा और ऐसी संपदा में या उस पर के कोई अधिकार सम्मिलित है और "माल" पद में सिक्के, बैंक नोट और करेंसी नोट सम्मिलित नहीं हैं ।

नकद अतिशेष ।

10. नियत तारीख से ठीक पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों की सभी निधियों का, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में कुल नकद अतिशेष का दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विलयन हो जाएगा ।

कर का बकाया ।

11. (1) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित किसी संपदा पर किसी कर या शुल्क (जिसके अंतर्गत भू-राजस्व का बकाया भी है) के बकाया की वसूली का अधिकार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित रहेगा ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर या शुल्क से भिन्न, किसी कर या शुल्क के बकाया की वसूली का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का रहेगा ।

ऋण और अग्रिम की वसूली ।

12. नियत तारीख से पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्तियों को दिए गए किन्हीं ऋणों या अग्रिमों की वसूली का अधिकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का रहेगा ।

संघ राज्यक्षेत्र उपक्रमों की आस्तियां और दायित्व ।

13. विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के किन्हीं वाणिज्यिक उपक्रमों से संबंधित आस्तियां और दायित्व, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निहित हो जाएंगे ।

आधिक्य में एकत्रित करों का प्रतिदाय ।

14. प्रतिदाय का संघ का दायित्व--

(क) किसी संपत्ति पर कोई कर या शुल्क, जिसके अंतर्गत आधिक्य में एकत्रित भू-राजस्व भी है, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को जाएगा ;

(ख) आधिक्य में एकत्रित कोई अन्य कर या शुल्क, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को जाएगा ।

भाग 6

सेवाओं के संबंध में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

15. नियत तारीख से ठीक पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र काडर में अखिल भारतीय सेवा के प्रत्येक सदस्य विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के समान सेवा काडर में बने रहेंगे, जिसमें वे नियत तारीख से पहले आबंटित रहते ।

अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

16. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के कार्य के संबंध में नियोजित है और विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों में नियत तारीख के ठीक पूर्व सेवारत है, नियत तारीख से ही,--

(क) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के संबंध में सेवारत रहेंगे ; और

(ख) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के संबंध में सेवा के लिए अनंतिम रूप से आबंटित समझे जाएंगे :

परंतु खंड (ख) की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिस पर धारा 15 के उपबंध लागू होते हैं या जो किसी अन्य राज्य से प्रतिनियुक्ति पर है ।

(2) नियत तारीख के पश्चात् केंद्रीय सरकार, यथाशीघ्र, साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अवधारित करेगी कि क्या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की सेवाओं के लिए अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और वह तारीख अवधारित करेगी, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा ।

(3) केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को उपधारा (2) के निबंधनों में किसी कर्मचारी को अंतिम रूप से आबंटित करते हुए आदेश पारित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे विशेष या साधारण आदेशों अथवा अनुदेशों, जो इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं, के अनुसरण में उसके नियंत्रण के अधीन सेवाओं में कर्मचारियों को एकीकृत करने के लिए कदम उठाएगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, इस धारा के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों को ऋजु और साम्यापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के संबंध में सहायता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक सलाहकार समितियों की आदेश द्वारा स्थापना कर सकेगी और ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिए गए किन्हीं अभ्यावेदनों पर समुचित विचार करेगी :

परंतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के विभाजन और एकीकरण के आधार पर उत्पन्न मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन ऐसे आदेश के प्रकाशन या तामील की तारीख, जो भी पहले हो, से तीन माह की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पूर्व परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या अन्यथा और ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, किसी मामले को फिर शुरू कर सकेगी और उस पर ऐसा आदेश, जो उसे समुचित प्रतीत हो, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना किसी प्रभावित कर्मचारी के साथ घोर अन्याय को रोकने के लिए आवश्यक है, पारित कर सकेगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात का, नियत तारीख से ही दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें अवधारित करने के संबंध में संविधान के अध्याय 1 के भाग 14 के उपबंध के प्रवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परंतु उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में नियत तारीख से ठीक पहले लागू सेवा की शर्तों में कोई अलाभकर परिवर्तन, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(6) विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के संबंध में उपधारा (2) के अधीन आबंटित व्यक्ति द्वारा नियत तारीख से पूर्व दी गई सभी सेवाएं, उसकी सेवाओं की शर्तों से संबंधित नियमों के प्रयोजन के लिए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के कार्यों के संबंध में दी गई सेवाएं समझी जाएंगी ।

(7) उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न इस धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति जिस पर धारा 16 के उपबंध लागू होते हैं, के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

भाग 7

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

विधियों का विस्तार ।

17. नियत तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र में विस्तृत या में प्रवृत्त सभी विधियां, नियत तारीख से, उन क्षेत्रों में, जहां वे ऐसी नियत तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त थीं, प्रवृत्त रहेंगी ।

विधि निर्माण की शक्ति ।

18. धारा 17 द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विस्तृत किसी विधि के प्रवर्तन के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उसे लागू करने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, ऐसी रीति में, सार को प्रभावित किए बिना ऐसी विधि का निर्माण कर सकेंगे, जो ऐसे न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष मामलों के संबंध में आवश्यक या उचित हो ।

विधि को अंगीकृत करने की शक्ति ।

19. केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में किसी विधि के प्रवर्तन को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा, नियत तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान से पूर्व, विधि में ऐसे अनुकूलन और

उपांतरण कर सकेगी, चाहे निरसन या संशोधन के माध्यम द्वारा जैसा कि वह आवश्यक और समीचीन समझे और तत्पश्चात् प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए ऐसे अनुकूलन और उपांतरण के अध्यधीन रहते हुए सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार परिवर्तित, निरसित या संशोधित किए जाने तक प्रभावी रहेगी ।

विधिक कार्यवाहियां ।

20. जहां इस अधिनियम के अधीन दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र को नियत तारीख के ठीक पहले अंतरित किसी संपत्ति, अधिकार या दायित्वों के संबंध में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र किसी विधिक कार्यवाही में पक्षकार है तो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र उन कार्यवाहियों में पक्षकार के रूप में विद्यमान संघ राज्यक्षेत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा या यथास्थिति, उसमें पक्षकार के रूप में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कार्यवाहियां जारी रह सकेंगी ।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण ।

21. (1) नियत तारीख से ठीक पहले किसी क्षेत्र, जो उस तारीख को विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर आता है, में किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाहियां, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को स्थानांतरित हो जाएगी ।

(2) इस धारा में,--

(क) "कार्यवाहियां" में वाद, मामले या अपील सम्मिलित हैं ; और

(ख) "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी" से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :--

(i) न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाहियां रखी होती, यदि नियत तारीख से पहले कार्यवाहियां संस्थित की जातीं, या

(ii) संदेह की दशा में, नियत तारीख के पश्चात् दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा या नियत तारीख से पहले विद्यमान संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा, उस संघ राज्यक्षेत्र के लिए ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जो अवधारित किए जाएं, तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी होंगे ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है ।

अन्य विधियों से असंगत उपबंधों का प्रभावी होना ।

22. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र देश के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है । दोनों संघ राज्यक्षेत्र लंबे समय तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहे थे । वे दिसंबर, 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुए थे । 1961 से 1987 तक, दमण और दीव, गोवा, दमण और द्वीप संघ राज्यक्षेत्र का भाग था । जब गोवा को राज्यत्व प्राप्त हुआ, दमण और दीव को पृथक् संघ राज्यक्षेत्र बनाया गया । दादरा और नागर हवेली पर जून, 1783 तक पुर्तगाली अधिभोग था । दादरा और नागर हवेली के निवासियों ने 2 अगस्त, 1954 को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी । 1957 से 1961 तक राज्यक्षेत्र का प्रशासन एक नागरिक परिषद्, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, द्वारा किया गया था । 1961 में इसे भारत गणराज्य में विलीन कर दिया गया था और एक संघ राज्यक्षेत्र बना दिया गया था ।

2. दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र की प्रशासनिक संरचना, इतिहास, भाषा और संस्कृति एक जैसी रही है । दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के विभिन्न विभागों के सचिव, पुलिस प्रमुख, वन संरक्षक सामान्य हैं और गृह मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पदस्थापित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी उनके कार्य आबंटन के अनुसार इन दोनों संघ राज्यक्षेत्रों में सेवा करते हैं । इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी भी है, नीतियां और विकास स्कीमें समान हैं ।

3. इसके अतिरिक्त, वहां दो सचिवालय और समानांतर विभाग हैं जो प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र में अवसंरचना और मानव शक्ति का उपभोग करते हैं । प्रशासक, सचिव और कतिपय विभागों के प्रमुख दोनों संघ राज्यक्षेत्रों में अनुकल्पी दिवसों पर कार्य करते हैं जो उनकी जनता के लिए उपलब्धता और अधीनस्थ कर्मचारिवृंद के कृत्यों की मानीटरी को प्रभावित करता है । दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के अधीनस्थ कर्मचारी पृथक् हैं । इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के विभिन्न विभागों को दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के साथ पृथक् रूप से समन्वय करना पड़ता है जिससे एक ही कार्य को दोबारा करना पड़ता है ।

4. दोनों संघ राज्यक्षेत्रों में दो पृथक् सांविधानिक और प्रशासनिक सत्ता होने के कारण एक कार्य में दोहरापन होता है, कार्य क्षमता में कमी आती है और फिजूलखर्ची बढ़ती है । इसके अतिरिक्त, यह सरकार पर अनावश्यक वित्तीय भार का कारण भी है । इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के काडर प्रबंधन और वृत्ति प्रगति के लिए भी विभिन्न चुनौतियां हैं ।

5. सरकार की "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन", की नीति के दृष्टिगत दोनों संघ राज्यक्षेत्रों की कम जनसंख्या और सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर विचार करते हुए दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्रों का एकल संघ राज्यक्षेत्र में विलय करने का विनिश्चय किया गया है । इसलिए, एक विधेयक, अर्थात्, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (संघ राज्यक्षेत्रों का

विलयन), 2019 इस प्रायोजन के लिए प्रस्तावित है ।

6. विधेयक अन्य बातों के साथ निम्नलिखित उपबंध करता है,--

(क) दक्षता बढ़ाकर और कागजी कार्य में कमी लाकर दोनों संघ राज्यक्षेत्रों के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना ;

(ख) प्रशासनिक व्यय में कमी लाना ;

(ग) नीतियों और स्कीमों में एकरूपता लाना ;

(घ) स्कीमों और परियोजनाओं की बेहतर मानीटरी ;

(ङ) विभिन्न कर्मचारियों के कॉडर का बेहतर प्रबंधन ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 नवंबर, 2019

अमित शाह

MGIPMRND—3660LS(CRC)—22-11-2019.